रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2007/ज्येष्ठ 9, 1929
No. 652] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2007/JYAISTHA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2007

(आय-कर)

का.आ. 853(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये 1 जून 2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(1) नियम 17क में,—

(i) "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "उप-धारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के परंतुक में "मुख्य आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) परिशिष्ट II के प्ररूप सं. 10क में,—

(i) प्ररूप सं. 10क के नीचे आने वाले शीर्षक में "धारा 12क (क)" शब्द, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 12क की उप-धारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "मुख्य आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 197/2007/फा. सं. 142/07/2007-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2007 अधिसूचना सं. का.आ. 762(अ) तारीख 14-05-2007 द्वारा किया गया।